the societies in the checking of quality and so on. I think Mr. Abdul Ghafoor has taken certain specific steps in this connection.

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA: Mr. Chairman, Sir, the answer is very evasive. I know he is carrying somebody else's baby today.

MR. CHAIRMAN: But he has told you that he was the original mother of this baby. He has only passed it on later. It was his baby at one time.

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA: There are many cooperative societies. The hon. Minister has said that if within a period of two years, the work does not start, then some preceedings or some action will start against them. And he himself has said that in 1982, 262 societies were allotted land and no work has started. What I want to bring to his notice is that they tell an allottee, "You are going to get your house by this date", and then they default themselves. Year after year they go on writing letters. Mr. A. P. Sharma, who is a Member of this House, has suffered. Many MPs have suffered. What about MPs' societies? I want to know how many societies of MPs have been granted sanction so far and also land? Sir, there is another thing. The hon. Minister must know that there is a general complaint that whenever letters are written to the chief executive and other officers—the Ministers reply within 48 hours—they do not care to reply even for months. So this is the distress that people are facing today. He says people all over the world are appreciating Delhi. I am a man who has gone round almost 80 countries. I have seen Hong Kong, Abu Dhabi, Oman, Yemen. What beautiful structures the are!

MR. CHAIRMAN: Two minutes over.

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA: The houses there are show-pieces. Here it is the same type of houses everywhere. No new architecture. It is the same type of houses everywhere.

MR. CHAIRMAN: No more, Please. Anything said after two minutes will not be replied to. I ring the bell after two minutes. Now the Minister.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Normally I never wish to disagree with any honourable Member. I would say that for Mr. Mohapatra also. Now, he might have his own impression. There might be better type of houses in some countries. I don't rule it out. The world is growing fast and there may be better techniques. But anyway I still hold on to my own impression. Of course, Delhi needs to be improved. Then he has asked me about the other question. There are umpteen cooperative societies. If he brings any specific case, I shall look into it. And by that time Mr. Ghafoor will be back and he will take charge of the portfolio. However, I shall try and see, and I am glad that he is now getting a quick and prompt response. Everybody appreciates that the Ministers send replies within 48 hours. (*interruption*) I would request him and I don't rute out what he says may be correct: perhaps he is correct. There is a tendency. When there is delay in replying, in obtaining information and so on, of course, sometimes they take the excuse that work is too much. I don't consider it justified. But if he brings to my notice any specific cases of officers, I shall certainly ask the Ministry to take action and generally the officers should be able to send replies most promptly.

दिल्ली की आटा मिलों द्वारा की जा रही मिलावट तथा अन्य आर्थिक अपराध

*349. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्य नारायण रेड्डी :†

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने अपने 6 मई, 1985 के पत्र में मांग की थी कि दिल्ली की आटा मिलों द्वारा की जा रही मिलावट तथा अन्य आर्थिक अपराधों मे संबंधित मामलों की जांच कराई जाए; और

† सभा में यह प्रश्न श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी द्वारा पूछा गया।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक सदस्य ने इस विषय पर एक पत्र, दिनांक 6 मई, 1985 को भेजा था ।

(ख) इस संबंध में सदस्य को 28 मई, 1985 को उत्तर भेज दिया गया था। उन्होंने दिल्ली की आटा मिलों द्वारा किए गए अपमिश्रण और अन्य आर्थिक अपराधों के मामलों की जांच करने के बारे में जो सुझाव दिया है, वह ऐसे अपराधों से संबंधित प्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में आता है । चूंकि किसी रोलर आटा मिल विशेष के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था, इस लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी ।

श्री बी० सत्य नारायण रेड्डी : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि कोई ऐसी चीज इनके इल्म में नहीं आई । आज यह शिकायत सभी जगह है, आपके पास भी यह शिकायत आई होगी कि बाजार में जो आटा मिलता है चाहे वह गेहूं का हो या दूसरा वह सब अडल्ट्रेटिड हो कर के मिलता है । बगैर अडल्ट्रेशन के कोई चीज नहीं मिलती है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई एसी मशीनरी है जिसके जरिये से आप यह पता लगा सकेंगे कि कहां-कहां, किन-किन मिलों से यह अडल्ट्रेशन आटा आता है । अगर मिलों से यह नहीं आता है तो फिर कहां पर इसका अडल्ट्रेशन होता है । किन-किन जगहों से यह आता है उनके खिलाफ आपने क्या कोई कार्यवाही की है और आप क्या कोई कार्यवाही करने वाले है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि हम इन मिलों की खराबियों की सेंट्रल एजेंसीज की करफ से दिखा के कोई एक्शन लें । अगर कहीं से शिकायत आती है तो हम इन्क्वायरी के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते है । उनका कम है आगे एकशन लेना । इस मामले में कोई खास शिकायत किसी मिल के खिलाफ नहीं की गई । किस तरीके से टैक्स बचाते हैं, इनकम टैक्स में हेरा-फेरी करते है, अडल्ट्रेशन करते हैं, ज्यादा भाव पर बेचते है । हमारी तरफ से भाव मुकर्रर नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंटस भाव मुकर्रर कर सकती थी जब कि हम गेहूं मिलों को यहां से अलाट करते थे । अब जब से हमने खुली छुट्टी मिलों को दे दी है और वह बाजार में खरीद सकते है किसी भाव पर, उसके बाद कीमत पर भी कोई कण्ट्रोल नहीं है ।

जहां तक मिलावट का ताल्लुक है, प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंटस और यूनियन टेरिट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके हैल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, अगर कहीं मिलावट देखें । हमारी तरफ से आम तौर पर हिदायतें जारी होती हैं कि एडल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की जाए और हम यह भी पता करते रहते हैं, ब्यौरा मांगते हैं स्टेट सरकारों से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि कितने छापे मारे गये, कहां-कहां तक एक्शन लिया गया । जहां कानून को तोड़ा जाता है, उनके मामले में कितने लोग नजरबंद किये गये, कितनों का चालान किया गया, यह ब्यौरा तो हम लेते रहते है, लेकिन हमारे पास डाइरक्टली एक्शन लेने के लिए कोई एजेन्सी नहीं है ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सर, आम तौर पर होता है, वह तो गरीब लोग ही जो चीजें खरीदते हैं, उनमें ही ज्यादा होता है, जो मालदार है, वह तो अच्छी चीजें खरीदते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं ।

तो माननीय मंत्री जी ने अपने क्वशचन के जवाब में कहा कि सेंटर के पास केन्द्र के पास या राज्यों के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके जरिए से एडल्ट्रेशन कहां होता है, किस जगह होता है, उसका पता लगाने का उनके पास कोई जरिया नहीं है और जब कभी शिकायत होती है, तो तभी वह उसके बारे में जांच करेंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया । मैं कहूंगा कि

आम लोग जो मजदूर-पेशा है, वेज-अर्नर है, गरीब तबका है, उनके पास इतना समय नहीं कि वह दर्खास्त देकर शिकायत करें। वह कभी ऐसा करने की पोजीशन में नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा तरीका निकालेगी, कोई मशीनरी रखेंगे जिसके जरिये से वह पता लगा सकेंगे कि एडल्ट्रेशन कहां होता है ताकि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जो एक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उनका इम्पलीमेंटेशन, उनका एनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। उनके पास भारी मशीनरी इस काम के लिए है, बहुत से इंसपैक्टर्ज फूड सप्लाई के होते हैं हर जगह। उनका काम है कि जगह-जगह जाकर चैकिंग करें, छापे मारें और एक्शन लें, चालान करें और अदालतों से सजा दिलावायें। हमारे पास, जैसा मैंने कहा कि कोई एजेन्सी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिम्मेदारी स्टेट सरकारों की है, वह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती। इसमें जो स्टेट की जिम्मेदारी है, वह स्टेट को ही निभानी पड़गी। हम उनके काम में, इस मामले में दखल नहीं कर सकते।

सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कानून बनाने की है इस पार्लियामेंट की तरफ से और उसके बाद हम उनकी देखभाल जरूर करते हैं। उनको हिदायतें देते है, गाईडेंस देते है। उसके बाद उनका काम है कि किस तरीके से तनदहीं से वह मिलावट को रोकें।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आप जो मशीनरी को हिदायतें.... (**व्यवधान**), वह तो बता सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी, हां, वह हिदायतें बराबर देते रहते है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : वह तो आपने बताया नहीं है कि क्या हिदायतें देते हैं उन्हे।

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 350, Mr. Suraj Prasad.

Industrial Accidents

‡*350. SHRI SURAJ PRASAD:†

SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that industrial accidents have increased in the recent past;

(b) what were the industrial accidents during the years 1982-83, 1983-84 and 1984-85; and

(c) what steps Government have taken to prevent such accidents?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The following table gives the number of fatal and non-fatal injuries, which resulted on account of industrial accidents, in the years 1981, 1982 and 1983. The figures for the year 1984 are yet to be finally compiled.

Year	No. of Injuries			Percentage increase over last year
	Fatal	Non-fatal	Total	
1981	687	332885	333572	+5.4
1982	757	345686	346443	+3.9
1983	864	348390	349254	+0.81

†The question was actually on the floor of the House by Shri Suraj Prasad.

‡Previously Starred Question 290, transfered from the 12th August, 1985.